(1)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनर्स्थापन - 3250/2018/खरगौन/भू.रा.

प्र0 क्र0 रेस्टोरेशन / .... / खरगोन / भू–राजस्व / 2018 ....

दिनांक 28-5-18 को श्री ओ० पी० शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत / 28-5-18 ... 13-6-18

O.P. Sharma 28.5.18

नानीबाई पति अम्बाराम भारूड़
निवासी– बोरावा, तेहसील कसरावद
जिला खरगोन

—— प्रार्थी

बनाम

जवाहरलाल नेहरू सरकारी एग्रीकल्चर प्रोडयूस प्रोसीसिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारा प्रबन्धक–संचालक, शुगर फैक्ट्री यूनिट सरवरदेवला, तेहसील कसरावद, जिला खरगौन

—— प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 भू–राजस्व संहिता

श्रीमान् जी

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, श्रीमान् न्यायालय ने निगरानी प्रकरण क्रमांक R-4193/PBR/2016 में दिनांक 20.09.2017 को प्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है।

(2) यह कि, श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक ही उपस्थित होते थे । दिनांक 22.08.2017 को अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित हो गये और इस दिनांक की आदेश पत्रिका रीडर द्वारा नियत पेशी 20.09.2017 नियत की गई इसके उपरान्त 20.09.2017 को भी अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये और प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया ।

(3) यह कि, विचाराधीन प्रकरण में नियत पेशी बावत् प्रार्थी के ... नहीं ... गई और प्रकरण में प्रार्थी की

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 3250/2018/खरगोन/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-12-18	उभयपक्ष को रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरशन आवेदन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्र. निगरानी 4193-पीबीआर/16 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	